

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक-एफ-1(2)ग्रावि/नरेगा/मा.द./2010

जयपुर, दिनांक 30/4/2010.

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त(राजस्थान)।

विषय :- जिले में श्रम सामग्री अनुपात संधारण में अपेक्षित सतर्कता नहीं
बरतने बाबत।

प्रसंग :- इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक 4(1) ग्रावि/नरेगा/एक्शन प्लान/2010-11 दिनांक
22.03.10

महोदय,

उक्त प्रासांगिक विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 के बिन्दु संख्या 9 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारम्भ किये गये परियोजनाओं (Projects) में सामग्री घटक की लागत (जिसके अंतर्गत कुशल और अर्द्ध कुशल श्रमिकों की मजदूरी भी सम्मिलित है) कुल परियोजना लागत के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इसी अनुसूची 1 के बिन्दु संख्या 1 (iv) (ख) अनुसार तो प्रत्येक व्यक्तिगत लाभ के कार्य में सामग्री का प्रतिशत 40 प्रतिशत सीमा में ग्राम पंचायत स्तर पर ही संधारित किया जायेगा।

राज्य सरकार को ज्ञात हुआ है कि राज्य के कतिपय जिलों द्वारा योजना के संचालन में इस आज्ञापक प्रावधान (mandatory provision) का उल्लंघन किया गया है एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी करते समय इस अनुपात के संधारण की स्पष्ट व्यवस्था जिला स्तर पर नहीं रखी गई है, परिणामस्वरूप उन्हें कार्य संचालन में उत्तरोत्तर कठिनाई एवं वित्तीय अनियमितता का सामना करना पड़ रहा है।


इस वित्तीय वर्ष में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के निर्माण एवं हरित सड़कों के कार्यों के मद्देनजर योजना में 40 प्रतिशत सामग्री सीमा संधारित करना अन्यथा भी चुनौती भरा कार्य है।

अतः यह आवश्यक है कि ग्राम पंचायतवार अब तक समस्त स्वीकृत परन्तु अप्रारम्भ, अपूर्ण एवं प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा की जावे। इस हेतु पूर्व में दि. 22.03.10 को प्रेषित पत्र के साथ संलग्न प्रारूप को संशोधित कर भिजवाये जा रहे संलग्न प्रारूप (परिशिष्ट-1) अनुसार अनुमत श्रम सामग्री अनुपात की गणना अतिशीघ्र की जावे। इस गणना अनुसार प्राप्त निष्कर्ष के प्रकाश में ही जिला स्तर पर प्रत्येक कार्य की स्वीकृति की व्यवस्था स्थापित की जावे।

साथ ही योजना के प्रारंभ से अब तक योजनान्तर्गत प्राप्त निधियों एवं उनके विरुद्ध किये गये व्यय की वर्षवार सूचना संलग्न परिशिष्ट-2 में तैयार की जावे एवं दोनों प्रपत्रवार जिले की प्राप्त सूचना इकजाई कर दिनांक 31.05.10 तक मुख्यालय को भी प्रेषित की जावे।

इस आज्ञापक प्रावधान की पालना करने हेतु ग्राम पंचायत एवं समस्त कार्यकारी विभागों को भी इसकी जानकारी दी जावे, ताकि इसी अनुपात सीमा में अनुमत कार्यों को वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किया जा सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सी.एस.राजन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. मुख्य लेखाधिकारी, ईजीएस को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार सूचना समस्त जिलों से प्राप्त कर इकजाई कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को 07.06.10 तक प्रेषित करें।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं जिला परिषद समस्त राजस्थान।

परि.निदे. एवं उप सचिव ईजीएस

जिला **श्री महात्मा गांधी नरेगा योजना**न्तर्गत वर्षवार उपलब्ध राशि एवं व्यय की सूचना

राशि (लाखों में)

क.सं.	वित्तीय वर्ष	प्रारंभिक अवशेष			वर्ष के दौरान जारी राशि		कुल उपलब्धता		वर्ष के दौरान व्यय						अंतिम अवशेष			
		केन्द्रीयांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रीयांश	राज्यांश	केन्द्रीयांश	राज्यांश	श्रम	सामग्री (मय कुशल / अर्द्ध कुशल श्रमिक)	प्रशासनिक मद	योग (10+11+12)	राज्यांश के विरुद्ध व्यय (कॉलम संख्या 11 का 25%)	केन्द्रीय अंश के विरुद्ध व्यय (13-14)	केन्द्रीयांश	राज्यांश	कुल	
1	2005-06																	
	2006-07																	
	2007-08																	
	2008-09																	
	2009-10																	